संख्या–180/XVI-2/11/ 7(5)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 की आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक 31 मार्च, 2011, एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–185/पी.एस./सी. एस./2011, दिनांक–08 अप्रैल, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं में सम्पूर्ण रूप से प्राविधानित ₹14475 हजार के सापेक्ष **संलग्न विवरणानुसार ₹7125 हजार (₹ इकहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि** व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा। जैसा कि वित्त अनुभाग–1 के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक–31 मार्च, 2011 में उल्लिखित है।

3– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि को व्यय करते समय वित्त अंनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक–31 मार्च, 2011, **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/ दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6— व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

7— व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0—13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि अनावशक रूप में बैंकों में पार्किंक के रूप मे न रखी जाय।

8— योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा—निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9— निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से उक्त सदर्भित आदेश दिनांक 31—3—2011 में उल्लिखित धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। प्रस्तावित परिव्यय को ध्यान मे रखते हुए धनराशि निर्वतन पर रखी जा रही है यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2401—फसल कृषि कर्म—00—आयोजनागत—119—बागवानी एवं सब्जियों की फसलें—07—शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित योजनाओं एवं उनकी सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11— निर्वतन पर रखी गयी धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग—1 उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011, में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनिर्वाय रूप से पालन किया जाना होगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या—180(1)/XVI-2/10/7(5)/2011,तददिनांकः
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग—4,उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/नैनीताल/अल्मोड़ा/चमोली (गोपेश्वर)उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–180/XVI-2/11/7(5)/2011 दिनांक: 28 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

रेशम विकास विभाग के आय–व्ययक 2011–12 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0–29–लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
3	**0707–चॉकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन**		
	09–विद्युत देय	100	100
	25–लघु निर्माण	1000	1000
	29–अनुरक्षण	3500	3500
	योग :–0707–	**4600**	**4600**
4	**0708–जैविक रेशम विकास**		
	02–मजदूरी	100	100
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20	20
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	20	20
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	200	200
	योग :0708–	**340**	**340**
5	**0709–वृक्षारोपण विकास योजना**		
	02–मजदूरी	150	150
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	250	250
	योग :0709–	**450**	**400**
7	**0711–रेशम प्रशिक्षण योजना**		
	08–कार्यालय व्यय	20	20
	09–विद्युत देय	30	30
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15	15
	21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	15	15
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	35	35
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	20	20
	42–अन्य व्यय	50	50
	44–प्रशिक्षण व्यय	100	100
	योग :0711–	**285**	**285**
8	**0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदढीकरण**		
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	500
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	500	500
	42–अन्य व्यय	500	500
	योग :0712	**2000**	**1500**
	महायोग :–	**7125**	**7125**

(₹ इकहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।